<u>फर्द अहकाम</u>

<u>(नियम 15)</u>

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

जम्बो फिनवेस्ट (इंडिया) लि० जयपुर बनाम राम सिंह जाटव

किस्म मुकदमा: - अंतर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002 मु० नम्बर ....1.......सन 202

GCMS - 2022/5

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुय
5-1-2022	यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 सिक्युरिटाईजेशन एंड रिकनस्ट्रशन ऑफ़ फ़ाइनेन्सिअल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी श्री यादवेन्द्र सिंह प्राधिकृत अधिकारी, जम्बो फिनवेस्ट लि० 102, कंचन अपार्टमेंट, एल.बी.एस. कॉलेज के सामने, तिलक नगर , जयपुर ने ऋणी/बंधक कर्त्ता संख्या 1. श्री राम सिंह जातव पुत्र श्री दीवान सिंह जाटव पता :- मोहल्ला किरी , पुराना शहर, धौलपुर -328001 , राज. , ऋणी 2. श्री राहुल जाटव पुत्र श्री सीताराम जाटव पता:- मोहल्ला किरी, पुराना शहर, धौलपुर -328001, राज. सह ऋणी 3. श्री लीलाधर उर्फ़ लीला राम कोली पुत्र श्री नाथी लाल कोली पता:- कसाई पाडा, पुराना शहर धौलपुर -328001 राज. गारन्टर के विरुद्ध इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इंडिया) लि. जयपुर ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 30.09.2016 को 5,00,000/- रूपये मात्र पांच लाख रूपये मात्र का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे | ऋण राशि निम्न परिसंपत्ति, प्रतिभूति करार के अंतर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है: - 1. पट्टा संख्या 54, धौलपुर , जिला धौलपुर राजस्थान पर स्थित है, जिसका माप 69.70 वर्ग मीटर है | जिसकी चरों सीमाएं निम्न प्रकार है पूर्व में रोड , पश्चिम में अन्य का मकान , उत्तर में सुनहरी का मकान, दक्षिण में स्वयं का खाली प्लाट है | ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है | ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को जम्बो फिनवेस्ट (इंडिया) लि. द्वारा दिनांक 09.08.2018 को अनर्जक परिसंपत्ति (एन० पी० ए०) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया | तथा दिनांक 27.09.2019 को अधिनियम की धरा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 5,60,564 /- रुपये (पांच लाख साठ हज़ार पांच सौ चौसठ मात्र) दिनांक 08.09.2019 तक एवं दिनांक 09.09.2019 से आगे का ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की ऋणी/अप्रार्थी द्वारा 13(2) नोटिस दिनांकित 27.09.2019 के विरुद्ध एतराज/जवाब दिनांक 21.10.2019 को प्रेषित किया गया | अप्रार्थी/ऋणी द्वारा दिए गये एतराज/जवाब दिनांक 21.10.2019 का निस्तारण प्रार्थी कम्पनी द्वारा दिनांक 02.11.2019 को करते हुए रजिस्टर्ड डाक दिनांकित 02.11.2019 अप्रार्थी/ऋणी को भिजवाया गया | ऋणी 60 दिन में ऋण राशि अदा करने में असफल रहें| अतः प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट	पत्रांक 15-17 12-1-22

(इंडिया) लि. द्वारा अपने पास बतौर बंधक राखी संपत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा के तहत निवेदन किया है

हमने प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इंडिया) लि. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया | पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो | ऋणी /बंधक कर्त्ता द्वारा प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इंडिया) लि. को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याजं अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रर्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इंडिया) लि. के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी संपत्ति 1. श्री रामसिंह जाटव की संपत्ति जो कि पट्टा संख्या 54, धौलपुर ,जिला धौलपुर राजस्थान पर स्थित है जिसमें भूमि , भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है | जिसका माप 69.70 वर्ग मीटर है | जिसकी चरों सीमाएं निम्न प्रकार हैं पूर्व में रोड , पश्चिम में अन्य मकान, उत्तर में सुनहरी का मकान, दक्षिण में स्वयं का खाली प्लाट, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इंडिया) लि. को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिए जाते हैं | पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी जिया जावे | पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो | प्रकरण नम्बर से कम किया जावे |

आदेश आज दिनांक 05.01.2022 को खुले न्यायलय में सुनाया गया |

(राकेश कुमार जायसवाल)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर